कार्यालय जिलाधिकारी, नैनीताल

पत्रांक : 502 /23–स्था.नि.लि./2016 दिनाँक : 06 अक्टूबर, 2016

विषय : **<u>परियोजना समन्वय समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों के क्रम में अनुमति के सम्बन्ध में।</u>**

अधीक्षण अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
नैनीताल।

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग/राष्ट्रीय राजमार्ग,
हल्द्वानी/रामनगर।

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में आईडिया सैलुलर लिमि. के पत्र संख्या ICL/ROW//2016-17/542, दिनाँक 13 सितम्बर, 2016 के पत्र की छायाप्रति की जा रही है, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि Underground Telecom Cable हेतु विभागों द्वारा की गयी माँग की अनुसार कम्पनी द्वारा धनराशि जमा कर दी गयी है। अतः वांछित स्थानों में Underground Telecom Cable बिछाये जाने की अनुमति चाही गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में दिनाँक 08 अगस्त, 2016 को हुई बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करें। बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में आईडिया सैलुलर लिमि. को अनुमति इस प्रतिबन्ध के अधीन निर्गत की जाये कि प्रति 05 कि.मी. में At a Time कम्पनी द्वारा 200 मीटर ही मार्ग खोदा जायेगा। मार्ग पुनः सुचारू करने के साथ कम्पनी अग्रेत्तर मार्ग पर कार्य कर सकती है एवम् पर्वतीय क्षेत्रों में 01 मीटर तथा मैदानी क्षेत्रों में 1.5 मीटर की गहराई पर केबिल डाले जायेंगे।

तकनीकी विभाग निर्गत किये जाने वाले अनुमति में उक्त बिन्दुओं का समावेश कर लें तथा सम्बन्धित फर्म/संस्था का दायित्व होगा कि वे उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें। सम्बन्धित तकनीकी विभाग अनुपालन सुनिश्चित करवायें एवम् प्रत्येक दशा में गुणवत्ता का ध्यान रखे तथा मार्ग अवरूद्ध, यातायात हेतु प्रभावित न हो। कार्य में समयबद्धता का ध्यान रखा जाये।

तदनुसार प्रकरण में उक्तानुसार कार्यवाही की जाये तथा निरन्तर कार्य की मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाये।

(दीपक रावत)
जिलाधिकारी, नैनीताल।

प्रतिलिपि प्रतिनिधि, आईडिया सैलुलर लिमि. को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी,
नैनीताल।